के निर्माण-कार्यों के पूरा होने की निश्चित तिथियां नियत की गई हैं। इनमें से 291 मील का निर्माण पूरी तरह पर पूरा हो गया है, 203 मील पर काम पानीकुटी मैंकेडैम अवस्था तक पूरा हो गया है और शेष 426 मील के निर्माण-कार्य की प्रगति विभिन्न अवस्थाओं में हो रही है। इसके अलावा निम्नतर प्राथमिकता की सड़कों की 690 मील की लम्बाई में से 312 मील लम्बाई का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है।

(ख) जारी निर्माण-कार्य के व्यय के भुगतान के लिए राज्य सरकार को 1965-66 में 1 करोड़ रुपये और 1966-67 में लगभग 5.31 करोड़ रुपये की राशियां दी गयी थीं। चालू वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की संभावना है।

(ग) इन सड़कों का निर्माण-कार्य कभी भी स्थगित नहीं किया गया। ताहम सरकार सड़क-निर्माण कार्यों की आवश्यकताओं का समय-समय पर पुर्नावलोकन करती रही है। ऐसा तानातम पुर्नावलोकन जून-जुलाई 1967 में किया गया था; और उसके फलस्वरूप उच्चत्तम प्राथमिकता की सड़कों पर ध्यान केन्द्रित करने का निश्चय किया गया। इस बात के सुनिश्चयन के लिए कि ये सड़कें निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जायें इनका निर्माण-कार्य जारी रखा गया है।

राजस्थान में सीमा सड़कों का निर्माण

4746. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सीमा सड़कों के निर्माण हेतु मशीनरी खरीदने के लिये ठेकेदारों को कोई ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन ठेकेदारों से अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है और शेष कब तक वसूल की जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी, नहीं। फिर भी पता चला है कि कार्य के शीघ्र निष्पादन के हित में राजस्थान सरकार ने कुछ मशीनरी ठेकेदारों को बेची है। मशीनरी का मूल्य व्याज सहित ठेकेदारों के चालू बिलों से वसूल किया जा रहा है। कार्य के पूर्ण होने के पूर्व सम्पूर्ण देय राशि पूरी तौर से वसूल कर ली जायेगी।

नागाओं के लिये रोजगार की व्यवस्था

4747. **श्री शशि भूषण बाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागाओं को भारत के अन्य भागों में रोजगार दिलाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) नागाओं के कुटीर उद्योगों तथा अन्य उद्योगों और कृषि आदि को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारतीय नागरिक होने के नाते नागा लोगों को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में रोजगार के मामले में प्राप्त हैं।

(ख) संविधान के सातवीं अनुसूची में "सूची II—राज्य-सूची" में 14वीं तथा 24वीं प्रविष्टि के अनुसार यह मामला राज्य-सरकार से सम्बन्ध रखता है।

तकनीकी अर्हता प्राप्त नागा युवक

4748. **श्री शशि भूषण बाजपेयी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड में मैट्रिकुलेटों, स्नातकों तथा तकनीकी अर्हता प्राप्त युवकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने युवकों को नौकरियां दी गई हैं तथा कितने युवक अभी तक बेरोजगार हैं; और